COLLEGE OF AGRICULTURE – PEETHAMPURI

(Sri Karan Narendra Agriculture University, Jobner)

कृषि महाविद्यालय पीथमपुरी, नीमकाथाना, जिला–सीकर (राज.)– 332 708

Dr. S.K. Khandelwal
DEAN

Email: dean.coapeethampuri@sknau.ac.in M: 9549692964

No. F. ( )/COAPP/2026/ 894 Date: 22/04/2026

केन्टीन संचालन हेतु निविदा सूचना

कृषि महाविद्यालय, पीथमपुरी (नीम का थाना) के केन्टीन के ठेके हेतु मोहरबन्द निविदाऐं दिनांक 29.04.2026 को प्रातः 11:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। आमंत्रित निविदा उसी दिन दोपहर 12:30 बजे खोली जावेगी। निविदा फार्म मय नियम–शर्तें राशि 100/– रू. तथा निविदा के साथ राशि 500/– रू. नगद/डी.डी./ऑनलाईन (जोकि Dean, College of Agriculture, Peethampuri के नाम देय होगा) द्वारा जमा कराना होगा। इस निविदा की विस्तृत जानकारी www.sknau.ac.in से भी प्राप्त की जा सकती है।

केन्टीन के ठेके की नियम एवं शर्तेः

इस महाविद्यालय के छात्र–छात्राओं एवं कर्मचारियों के लिये संचालित केन्टीन के ठेके हेतु नियम एवं शर्तें निम्नलिखित होगी :–

1. केन्टीन संचालन अवधि शैक्षणिक वर्ष 2026–27 के जिसे अर्थात् 01.05.2026 से 30.04.2027 तक का होगा। संचालनकर्ता का कार्य सन्तोषजनक पाया गया तो उक्त मियाद को संचालनकर्ता की प्रार्थना पर अधिष्ठाता द्वारा बढ़ाया जा सकता है। इसके विपरीत कार्य असंतोषजनक पाया गया तो एक माह अथवा विशेष परिस्थितियों में 15 दिन का नोटिस देकर कार्यादेश को समाप्त किया जा सकता है।
2. संचालनकर्ता को महाविद्यालय केन्टीन में ही केन्टीन चलानी होगी। केन्टीन सुविधा एवं छात्रों के हितो को देखते हुये फर्नीचर व भवन का किराया नहीं लिया जावेगा, परन्तु केन्टीन के रख रखाव व विकास के एवज् में राशि 4000.00 (अक्षरेः चार हजार रूपये) प्रति माह लिया जावेगा, जिसे प्रत्येक माह की 05 तारीख तक कार्यालय में जमा कराना होगा, अन्यथा उचित कार्यवाही की जावेगी। यदि किसी कारण से चलती हुई केन्टीन को अचानक बन्द कर दी जाती है तो संचालनकर्ता की सम्पूर्ण धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी।
3. जो भी फर्नीचर, बिजली के उपकरण एवं सेनेट्री से सम्बन्धित सामान दिये जायेगें। उनके रख–रखाव की सम्पूर्ण जिम्मेदारी संचालनकर्ता की होगी, यदि कोई टूट–फूट होगी तो संचालनकर्ता अपने खर्च के द्वारा ही मरम्मत करवायेगा अथवा नया खरीद कर वापस जमा करवायेगा। केन्टीन की नित्य सफाई एवं रख–रखाव की जिम्मेदारी संचालनकर्ता की होगी।
4. केन्टीन को साफ–सुथरा रखना होगा तथा राज्य सरकार द्वारा जारी साफ–सफाई से संबंधित दिशा–निर्देशों की पालना करनी होगी। जलपान सेवा–व्यवस्था के लिये आवश्यकतानुसार कर्मचारी रखने होगें। कर्मचारी उचित व साफ–सुथरी पोशाक पहन कर कार्य करेगें, जिसकी जिम्मेदारी भी संचालनकर्ता की होगी एवं बाल–श्रमिक नहीं लगाये जायेगें।

22/4/2026

5. जिस संचालनकर्ता के नाम कार्यादेश जारी हो, उसे राशि 12000.00 रू. (अक्षरेः बारह हजार रूपये) बतौर जमानत अधिष्ठाता कार्यालय में जमा करवाना होगा तथा एक इकरारनामा प्रपत्र 100/– रू. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर भर कर देना होगा, जिसमें महाविद्यालय या विश्वविद्यालय के किन्ही दो कर्मचारियों को (जिन्हें अधिष्ठाता अच्छी प्रकार से जानते हो) बतौर जमानती अपने हस्ताक्षर करने होगें।
6. संचालनकर्ता किसी दूसर व्यक्ति को केन्टीन किराये या संचालन पर नहीं दे सकेगा व केन्टीन के खुलने से बन्द होने तक संचालनकर्ता स्वयं काउण्टर पर ही रहेगा। ऐसा नहीं पाये जाने पर केन्टीन का कार्यादेश समाप्त किया जा सकेगा।
7. केन्टीन का दुरूपयोग नहीं होगा। संचालनकर्ता केन्टीन में किसी भी व्यक्ति को बिना कार्य नहीं बैठने देगा व किसी भी छात्र अथवा महाविद्यालय कर्मचारी को वस्तु निर्माण गृह में प्रवेश नहीं देगा। सरकार द्वारा प्रतिबन्धित मादक द्रव्य पदार्थ, तम्बाकू एवं इसके उत्पाद का प्रयोग, लेन–देन एवं प्लास्टिक निर्मित गिलास, प्लेटे आदि का उपयोग केन्टीन के अन्दर पूर्णतया वर्जित रहेगा।
8. संचालनकर्ता की पूर्ण जिम्मेदारी होगी कि वह प्रतिदिन शुद्ध, ताजा तथा गुणवत्ता वस्तुऐं ही विक्रय करेगा, इसके विपरीत होने पर अधिष्ठाता द्वारा उचित कार्यवाही की जावेगी।
9. संचालनकर्ता द्वारा मीनू व रेट, निविदा फार्म में बताये अनुसार चार्ज करेगा, अथवा जो केन्टीन कमेटी द्वारा स्वीकृत होगी उन वस्तुओं के नमूनें भी मान्य कराने पड़ेगें और उसके अनुसार उसे वस्तुऐ विक्रय करनी होगी। बाजार भाव के अनुसार कमेटी की सहमति से दरों में परिवर्तन किया जा सकेगा। संचालनकर्ता प्रत्येक वस्तु की मूल्य सूची केन्टीन में लिखकर निश्चित स्थान पर लगाकर रखेगा, जिसको उपभोक्ता आसनी से देख सके।
10. केन्टीन का समय प्रातः 08:00 बजे सांय 06:00 बजे तक होगा। महाविद्यालय के छात्रों की सुविधानुसार केन्टीन का समय परिवर्तित किया जा सकता है तथा महाविद्यालय में होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में जैस खेल–कूद, मीटिंग के लिये अधिक समय तक अथवा अवकाश के दिन भी केन्टीन खुली रखने का प्रावधान होगा। जिसकी पूर्व सूचना संचालनकर्ता को समय पर दी जावेगी। महाविद्यालय के अन्य किसी कार्यक्रम हेतु केन्टीन की सुपुर्दगी देनी होगी, जिसका संचालनकर्ता को कोई किराया देय नहीं होगा तथा केन्टीन से संबंधित सभी अधिकार महाविद्यालय प्रशासन के पास सुरक्षित रहेंगे। कमेटी के सदस्यों द्वारा समय–समय पर केन्टीन का औचक निरीक्षण किया जावेगा।
11. निविदा भेजते समय लिफाफे पर **''केन्टीन संचालन हेतु निविदा''** लिखना होगा।
12. ठेके से संबंधित समस्त अधिकार अधिष्ठाता के हित में निहित होगें एवं अधिष्ठाता का फैसला ही संचालनकर्ता को मान्य होगा।
13. केन्टीन समय के बाद यानि सांय 07:00 बजे के बाद कोई भी व्यक्ति केन्टीन में रात्रि निवास नहीं करेगा। केन्टीन में सभी प्रकार का विज्ञापन वर्जित रहेगें।
14. केन्टीन परिसर में निर्मित खाद्य सामग्री, महाविद्यालय परिसर से बाहर ले जाने की अनुमति नहीं होगी। विशेष परिस्थितियों में अधिष्ठाता की पूर्व लिखित अनुमति से ऐसा किया जा सकता है।
15. खाद्य सामग्री की दरों को भरते समय (संचालनकर्ता) यह सुनिश्चित करें कि जो मुद्रा बाजार चलन में उपलब्ध हो उसी के अनुरूप दरें भरी जानी चाहिए ताकि क्रय करते समय उपभोक्ताओं को असुविधा न हो (जैसे 50 पैसे के लिये 49 पैसा नहीं भरें) निविदा में इस नियम की पालना नहीं करने पर निविदा निरस्त कर दी जावेगी।

27/4/2026

16. बिजली का किराया एवं खर्चा अलग से संचालनकर्ता को मीटर रिडिंग के अनुसार प्रत्येक माह की 05 तारीख तक जमा करवाना होगा अन्यथा 16 प्रतिशत की दर से ब्याज वसूल किया जावेगा। लाईट का उपभोग अधिक करने एवं बिजली विभाग द्वारा दरें बढ़ाने पर बढ़ा हुआ शुल्क जमा कराना होगा।
17. योग्य उम्मीदवार द्वारा महाविद्यालय में पुलिस सत्यापन सम्बन्धित दस्तावेज जमा कराने होगें, साथ ही मूल निवास का पता, वोटर आई.डी., आधार कार्ड, बैंक के खाता संख्या इत्यादि की छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा तथा पिछले पाँच वर्षो से जानने वाले सक्षम व्यक्ति की जमानत मय पता व हस्ताक्षर अनिवार्य होगें।
18. केन्टीन के बाहर गार्डन/पेड़–पौधों की भी संचालनकर्ता द्वारा देख–भाल करनी होगी।
19. अधिष्ठाता को निविदा को अस्वीकार करने व निरस्त करने का अधिकार होगा।
20. खाद्य पदार्थो से सम्बन्धित कोई गुणवत्ता के कारण कोई प्रकरण बनता है, तो असकी समस्त जिम्मेदारी केन्टीन संचालनकर्ता की होगी।

22/4/2026
अधिष्ठाता

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः

1. श्रीमान् वित्त नियंत्रक, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर।
2. संयोजन/सदस्य, निविदा समिति, कृषि महाविद्यालय, पीथमपुरी।
3. लेखाशाखा, कृषि महाविद्यालय, पीथमपुरी।
4. सूचना पट्ट कृषि महाविद्यालय नोटिस बोर्ड या ग्राम पंचायत प्रीतमपुरी, थोई एवं कांवट।

22/4/2026
अधिष्ठाता

निविदा प्रारूप

श्रीमान् अधिष्ठाता महोदय
कृषि महाविद्यालय,
पीथमपुरी (नीम का थाना)।

विषयः केन्टीन संचालन हेतु रेट लिस्ट हेतु।

महोदय,

आपकी महाविद्यालय की केन्टीन संचालन हेतु निविदा सूचना क्रमांक F. ( )/COA/PP/2026/............. दिनांक .... की समस्त नियम एवं शर्तो की पालना करते हुए, मैं महाविद्यालय में निम्नलिखित दरों पर केन्टीन संचालन हेतु सहमत हूँ :

क्र.सं.	भोजन/नाश्ता का विवरण	दर (रूपये)
1	चाय (75 ml)	
2	चाय (100 ml)	
3	कॉफी (100 ml)	
4	दूध (100 ml)	
5	ज्यूस (फ्रेश फ्रूट) (150 ml)	
6	कचौरी (दाल)/समोसा/मिर्च बड़ा/आलु बड़ा (75 ग्राम)	
7	कचौरी (प्याज) (100 ग्राम)	
8	बैसन पकौड़े (100 ग्राम)	
9	दाल पकौडी (100 ग्राम)	
10	मैगी	
11	सेण्डविच	
12	पोये 1 प्लेट	
13	पेस्ट्री	
14	पेटिज	
15	छाछ (150 ml)	
16	लस्सी (150 ml)	
17	सादा पराठा + आचार + सोस	
18	पराठा (आलू/मूली/गोभी/पनीर) + आचार + सोस + दही (100 gm)	
19	बर्गर	
20	ब्रांडेड बिस्किट/नमकीन/वेपर्स/भुजिया/कोल्ड ड्रिंक/अन्य (बाजार दर/अंकित मूल्य के अनुसार)	
21	**भोजनः** मौसमी सब्जी, आचार, छाछ एवं चपाती/पूड़ी (भर पेट)	
22	**भोजनः** सब्जी, दाल, रायता, चावल, आचार, सलाद एवं चपाती (भर पेट)	

नोटः निविदादाता को PAN कार्ड एवं आधार कार्ड दस्तावेज की सत्यापित प्रति संलग्न करनी होगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर

निविदादाता का नाम.................................
पता...
...
मोबाईल नं. ....
खाद्य लाइसेंस सं. ....